

# क्षेत्रीय संयोजकता योजना-उडान के तहत दूसरे दौर की बोली प्रक्रिया की आज शुरुआत की गई

श्री पी अशोक गजपति राजू ने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु बेहतर संयोजकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आरसीएस के तहत हेलीकॉप्टर संचालित किया जाएगा

Posted On: 24 AUG 2017 7:10PM by PIB Delhi

नागर विमानन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय संयोजकता योजना-उडान के दूसरे दौर के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया की आज शुरुआत होगी। आज नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री राजू ने कहा कि दूसरे दौर में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप में परिचालन में लचीलापन तथा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर संयोजकता (कनेक्टिविटी) में सुधार लाने पर जोर होगा। मंत्री जी ने सूचित करते हुए कहा कि उडान के दूसरे दौर में बदलाव पिछले चार महीनों में सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

क्षेत्रीय संयोजकता योजना-उडान 15 जून 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) का एक महत्वपूर्ण घटक है। आम लोगों के लिए सस्ती विमानन सेवा क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने / उत्तेजित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्टूबर, 2016 में उडान शुरू किया गया था। पहली दौर की बोली की सफलता से उत्साहित होकर ही सरकार ने दूसरे दौर की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण परिवर्तनों जिससे प्रभाव होगा- 150 किलोमीटर से कम लंबाई के वायु मार्गों को निश्चित विंग विमानों के माध्यम से आरसीएस रूट के रूप में संचालन के लिए अनुमति दी जाएगी। इस योजना के तहत बढ़िया कनेक्टिविटी प्रदान करना और नेटवर्क के निर्माण को कम करना मुख्य उद्देश्य है। जबकि संचालन की विशिष्टता 3 साल की अवधि के लिए लागू होगी, संबंधित आरसीएस मार्ग पर संचालन के लिए चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटर (एसएओ) अन्य एयरलाइन ऑपरेटरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी कर सकता है। चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटरों (एसएओ) को अधिक उदारता प्रदान करते हुए, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वीजीएफ के साथ अधिकतम उड़ानों को बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। इसके साथ ही, चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटर (एसएओ) आरसीएस मार्ग पर किसी भी समय उड़ानों की संख्या बढ़ा सकते हैं। साथ ही, न्यूनतम प्रदर्शन विनिर्देश अब गैर-आरसीएस मार्गों पर भी लागू होंगे।

इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर संचालन केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए, हेलीकॉप्टरों के लिए वीजीएफ की सीमा को बढ़ा दिया गया है और आरसीएस में अनुमानित वार्षिक प्रवाह का 10 प्रतिशत हेलीकॉप्टर अपरेशनों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, हेलीकॉप्टरों के सभी 13 यात्री सीटों को आरसीएस सीटों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार वीजीएफ प्रदान किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर हेलीकॉप्टरों के लिए उड़ान अवधि की गणना करने की पद्धति को भी संशोधित किया गया है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयोजकता (कनेक्टिविटी) में सुधार लाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। प्राथमिकता वाले आरसीएस रूट की परिभाषा-जिसमें कम से कम एक एयरपोर्ट - मूल या गंतव्य - एक आरसीएस एयरपोर्ट प्राथमिकता क्षेत्र में स्थित हो और वह आरसीएस एयरपोर्ट इस योजना के तहत अनन्वित एयरपोर्ट या अनारक्षित एयरपोर्ट की परिभाषा को संतुष्ट करता हो।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए एक अनन्वित एयरपोर्ट का मतलब कोई भी एयरपोर्ट जो एक अनारक्षित एयरपोर्ट नहीं है और डीजीसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित नवीनतम उड़ान पद्धति के अनुसार प्रति सप्ताह कम से कम चौदह (14) व्यावसायिक उड़ान हो। प्राथमिकता वाले आरसीएस मार्ग पर अपरेशन के लिए अतिरिक्त श्रेणी की एयरक्राफ्ट की अनुमति होगी। इन क्षेत्रों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता वाले आरसीएस मार्गों के लिए श्रेणी -1 ए और श्रेणी -1 फिक्स्ड विंग एयरलाइंस के माध्यम से संचालन के लिए बढ़ी हुई वीजीएफ कैप्स लागू होंगे। इसके अलावा, इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर संचालन की अनुमति केवल प्राथमिकता वाले आरसीएस मार्गों पर ही की जा रही है।

साथ ही इस अवसर पर बोलते हुए राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा ने कहा कि उडान का पहला दौर बहुत सफल रहा है। निजी एयरलाइंस ने आरसीएस मार्गों पर बड़ी संख्या में विमानों को उतारा है। इस वर्ष सितंबर के अंत तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उडान के पहले दौर के तहत कुल 29 अनवरत / अन्तर्गत एयरपोर्टों को जोड़ा जाएगा। इसमें से 8 अब तक जुड़ चुके हैं तथा 21 और जल्द ही जुड़ जाएंगे। पहले दौर के तहत जुड़ने वाले 43 अनवरत/ अन्तर्गत एयरपोर्टों में से शेष 14 एयरपोर्ट उन्नयन की प्रक्रिया में हैं। श्री सिन्हा ने आगे कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जोड़ने और इसकी नई लचीलापन सुविधाओं के कारण, उडान का दूसरा दौर पहले दौर की तुलना में ज्यादा सही साबित होगा।

दूसरे चरण की बोली के लिए अस्थायी समय-रेखा निम्नानुसार है

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	दिन

1	दूसरे चरण के कार्यक्रम का प्रारंभ	24 अगस्त	<b>1</b>
2	पृष्ठताछ करने की तिथि	8 सितंबर तक	<b>16</b>
3	सभी हितधारकों के साथ बोली से पहले आधे दिन की बैठक	5 सितंबर	<b>13</b>
4	ई-बिड पोर्टल पर अंतिम बोली संबंधित दस्तावेज	18 सितंबर	<b>26</b>
5	विश्राम स्थान की लंबाई/ उड़ान अवधि के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि	27 सितंबर तक	<b>35</b>
6	विश्राम स्थान की लंबाई/ उड़ान अवधि की घोषणा	4 अक्टूबर	<b>42</b>
7	प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26 अक्टूबर तक	<b>64</b>
8	आरसीएस मार्ग/नेटवर्क खोलने के लिए प्राप्त हुआ	27 अक्टूबर	<b>65</b>
9	जवाबी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण	2 नवंबर	<b>71</b>
10	जवाबी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16 नवंबर	<b>86</b>
11	तकनीकी प्रस्ताव की शुरुआत (प्रारंभिक और जवाबी)	17 नवंबर	<b>87</b>
12	वित्तीय प्रस्ताव के शुरुआत की तिथि	23 नवंबर	<b>94</b>
13	चयनित एयरलाइन ऑपरेटर के घोषणा की तिथि	30 नवंबर	<b>101</b>

प्रस्तुतीकरण देखने के लिए नीचे लिंक पर जायें

\*\*\*\*\*

बीके/पीकेपी/वाईबी-3519

(Release ID: 1500649) Visitor Counter : 11

